

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला के लेखाओं का अंकेंक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेंक्षण अवधि 4/2014 से 3/2015

भाग—एक

1. (क) प्रस्तावना :-

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0-4(डी)1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेंक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2015 का अंकेंक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया।

अंकेंक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

क्र० सं०	अधिशाषी अभियन्ता का नाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार त्रिवेदी	1.4.2014 से 31.3.2015

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2015 तक के अंकेंक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं०	राशि (₹) लाखों में
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे	4 व 4(1)	520.61
2	सुरक्षित अग्रिमों की वसूली न करना	5	13.13
3	बिजली बोर्ड द्वारा डिपॉजिट राशि से कम कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप राशि की वसूली न करना	6	4.23
4	स्टाफ अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष	7	0.83
5	संविदाकार को कार्य C/o Office building of State Pollution Control Board, Dharmshala में सम्भावित अधिक भुगतान	8	0.15
6	संविदाकार को कार्य C/o B.Sc Nursing College Paprola में	9	0.79

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट “क” में दर्शाई गई है। वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक मण्डल से सम्बन्धित अनिर्णीत शेष पैरों का वर्ष वार विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1.	2004-05	1	
2.	2005-06	2	
3.	2006-07	1	
4.	2007-08	3	
5.	2011-12	1	
6.	2012-13	1	
7.	2013-14	2	
	कुल पैरे	11	

भाग-दो**2. वर्तमान अंकेक्षण :-**

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2015 तक का अंकेक्षण कार्य श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा श्री पदम सिंह, उप-निदेशक के पर्यावेक्षण में दिनांक 4.3.16 से 18.3.2016 तक धर्मशाला में किया गया। माह 3/2015 के लेखाओं का चयन विस्तृत अंकेक्षण हेतु किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डल के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर किया गया है। मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत, अधूरी अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2015 के अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विभिन्न कार्यों के लिए भुगतान की गई राशि ₹488.46 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को दिनांक 31.3.2015 तक परिशिष्ट "ख" में दिए गए विवरणानुसार विभिन्न कार्यों (बाहरी विद्युतीकरण के लिए) किए गए भुगतान में से राशि ₹488.45 के किया गया था, न तो उपयोगिता प्रमाण पत्र बिजली बोर्ड से प्राप्त किए गए और न ही बिजली बोर्ड को दी गई राशियों व उनके पास बची शेष अनुपयोगी राशियों का समायोजन करवाया गया। अतः आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिजली बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्यों की वस्तुस्थिति सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं। वास्तविक स्थिति के अनुसार यदि कार्य निर्धारित प्राकलन मात्रा से कम निष्पादित किया गया हो तो निष्पादित कार्यों के दृष्टिगत उपयोग में न लाई गई राशियों को बिजली बोर्ड से शीघ्र प्राप्त करने अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके अन्य कार्यों में समायोजित करने हेतु पग उठाए जाने सुनिश्चित करें।

4.1 हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विभिन्न कार्यों के लिए भुगतान की गई ₹32.15 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे :-

जांच में पाया कि हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को माह 4/2002 से पूर्व में निम्न विवरणानुसार ₹3214752 का भुगतान विभिन्न कार्यों (बाहरी विद्युतीकरण के लिए) किया गया था, लेकिन इन राशियों के विरुद्ध निष्पादित कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र बिजली बोर्ड से प्राप्त नहीं किए गए थे। अतः सम्बन्धित विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

क्र० सं०	एजेन्सी का नाम	कार्य का नाम	राशि
1.	XEN, HPSEB-Hamirpur	SHC-Naya Nagar	829085.00
2.	XEN, HPSEB-Kullu	Shoping Complex	593442.00
3.	XEN, HPSEB-Baijnath	SOP To RHS-Baijnath	449420.00

4.	XEN, HPSEB-Ghumarwin	SOP TO RHS-Ghumarwin	608715.00
5.	XEN, HPSEB-Gohar	SOP TO RHS-Gohar	285040.00
6.	XEN, HPSEB-Nadaun	SOP TO RHS-Nadaun	449050.00

5 सुरक्षित अग्रिमों की राशि ₹13.13 लाख की वसूली बारे :-

विद्युत मण्डल द्वारा संविदाकारों को विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु परिशिष्ट "ग" के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक भुगतान की गई सुरक्षित अग्रिमों ₹1313330 की वसूली शेष थी, जिनमें से कुछ राशियों को लम्बी अवधि से समायोजित नहीं किया गया था। अतः इन राशियों की वसूली शीघ्र संविदाकारों के बिलों से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 बिजली बोर्ड द्वारा डिपॉजिट राशि से कम कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप ₹4.23 लाख की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास डिपॉजिट कार्य के रूप में जमा राशियों के विरुद्ध निष्पादित कार्यों का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिशिष्ट "ग" में दिए गए विवरणानुसार बिजली बोर्ड के पास जमा राशियों के विरुद्ध प्राकलन से कम कार्य के निष्पादन के फलस्वरूप ₹423188 की राशि वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक अनुपयोगी पड़ी थी, जिसे न तो विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा वापिस लिया एवं न ही बिजली बोर्ड से निर्धारित प्राकलन से कम निष्पादित कार्य बारे स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए। अतः इतनी लम्बी अवधि तक अनुपयोगी राशियों को बिजली बोर्ड द्वारा बिना किसी उद्देश्य के अपने पास रखने बारे मामला बोर्ड के उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाकर उक्त राशि को शीघ्र प्राप्त किया जाए तथा की गई कार्यवाही से यथाशीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 स्टाफ अग्रिम ₹0.83 लाख समायोजन हेतु शेष :-

दिनांक 31.3.2015 को मण्डल के लेखों के अनुसार स्टाफ अग्रिम के रूप में ₹82877 समायोजन हेतु शेष थी। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "घ" में दिया गया है। अतः मण्डल द्वारा इन अग्रिम राशियों का समायोजन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 ₹0.15 लाख का संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान:-

Name of Work :- C/o Office building of State Pollution Control Board,
Dharmshala (E.I. to office block & 2 No. type IV qtrs)

Estimated Cost	₹820485
Award Amount	₹1013805(23.56% above)
Awaed letter No.	No. HIMUDA/EDD/W-7/2010-738-744 Dated 21.8.2013
Justification	₹998686 (21.72% above)
Agreement No.	9 to 2013-14
Name of Contractor	M/s Malhotra Associates
Measurement	121/14
Books	
Voucher No.	24 Dated 10.3.2015 (दूसरा चालित बिल)

उपरोक्त निर्माण कार्य के द्वितीय चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आवंटन करने के फलस्वरूप ₹15119 की वित्तीय हानि :-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य का आवंटन न्याय संगत दरों से अधिक पर करके संविदाकार को ₹15119 का अनुचित लाभ प्रदान किया गया था, क्योंकि कार्य का आवंटन न्याय संगत दरों से अधिक नहीं किया जा सकता था। अतः न्याय संगत दरों से अधिक कार्य का आवंटन करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं। अनुचित लाभ का विवरण निम्नलिखित है:-

कार्य का विवरण	आवंटित राशि	न्याय संगत राशि	अनुचित लाभ की राशि
C/o Office building of State Pollution Control Board, Dharmshala (E.I. to office block & 2 No. type IV qtrs)	1013805	998686	15119

इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि निम्नलिखित मदों में संविदाकार से समझौता वार्ता (नेगोसिएसन) की जानी अपेक्षित थी, जिनकी आवंटित दरें न्याय संगत दरों से अधिक थी। यदि इन मदों की नेगोसिएसन की होती तो कार्य का आवंटन न्याय संगत दरों के भीतर ही हो जाता। अतः निम्नलिखित मदों में समझौता वार्ता न करने का औचित्य स्पष्ट करें:-

मद सं०	मद का विवरण	अनुमानित मात्रा	आवंटित दरें	न्याय संगत दरें	अपेक्षित अधिक भुगतान
3	Wiring for power plug with 2x4 sq. mm	340mtr	300	280	6800

4	Wiring for power plug with 4x4 sq. mm	220mtr	450	400	11000
---	---------------------------------------	--------	-----	-----	-------

9 ₹0.79 लाख का संविदाकार को अनुचित लाभ :-

Name of Work :-	C/o B.Sc Nursing College Paprola (Major Work)
Estimated Cost	₹2652314
Award Amount	₹2927669 (10.38% above)
Award letter No.	No. HIMUDA/SE(N)HMR(DB)Ayurvedic Work Paprola(E.I. Work)/2011-1494 Dated 23.11.2011
Agreement No.	41 to 2011-12
Name of Contractor	Sh. Deepak Sood
Measurement	84,109, 120
Books	

उपरोक्त निर्माण कार्य के विभिन्न चलित बिलों की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आवंटन करने के फलस्वरूप ₹0.79 लाख की वित्तीय हानि :-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के आवंटन के दौरान न्याय संगत दरों को नजरांदाज किया गया एवं संविदाकार के पक्ष में न्याय संगत दरों से अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था, जिससे विभाग को उपरोक्त कार्य की विभिन्न मदों की अनुमोदित मात्रा के आधार पर ₹79463 का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। अतः न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आवंटन करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं। अधिक सम्भावित भुगतान का विवरण निम्नलिखित है:-

मद सं०	मद का विवरण	अनुमानित मात्रा	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें	न्याय संगत दरें	अपेक्षित अधिक भुगतान
19	S/F Sheet metal bus-bar chamber	1 Nos	9000	8282	718.00
21	P/F MCCB (b) 315/400 Amp 35 KA	1 Nos	26550	26145	405.00
24	S/F Single Pole (b) double door 16 way	9 Nos	1800	1740	540.00
26	Earthing with G.I. earth pipe 4.5	2 Nos	3600	3100	1000.00

		mtr long				
29	P/F M.V. danger notice plate	9 Nos	90	87	27.00	
34	P/F Surface/pendant mounting industrial T-5	318 Nos	1665	1466	63282.00	
41	S/F of bulk head fitting CFL Type	14 Nos	463	422	574.00	
42	S/Erection of following depth sheet metal cubicl pedestal of suitable dimension (a) 450 mm deep	2.25sq. mtr	15750	10009	12917.00	

कुल राशि ₹79463.00

अतः उक्त मदों में संविदाकार से समझौता वार्ता (नेगोसिएशन) की जानी अपेक्षित थी, ताकि कार्य का आवंटन न्याय संगत दरों के भीतर होता एवं उपरोक्त बचत की राशि का प्रयोग अन्य कार्य हेतु किया जा सकता था।

10 संविदाकारों को सुरक्षित अग्रिम (Secured Advance) के भुगतान के दौरान नियमों का पालन न करने बारे :-

जांच में पाया कि विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा अधिकांश कार्यों के निष्पादन के लिए संविदाकारों को सुरक्षित अग्रिमों का भुगतान के दौरान CPW Account Code के नियम 10.2.18 की अनुपालना नहीं की गई थी अर्थात सुरक्षित अग्रिमों के भुगतान के दौरान सामग्री के क्रय से सम्बन्धित अधिकृत बिल प्राप्त व प्रस्तुत नहीं किए गए, जिनके अभाव में सामग्री की गुणवत्ता एवं क्रय की सत्यता का पता नहीं चल सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख प्राप्त करना सुनिश्चित करें। सुरक्षित अग्रिमों का विवरण निम्नलिखित है, जिनमें उक्त नियम के अनुसार अधिकृत बिल नहीं लिए गए थे:-

क्र० सं०	वा० सं०	दिनांक	कार्य का नाम	आवंटन पत्र सं०	ठेकेदार का नाम/समझौता सं०	सुरक्षित अग्रिम
1.	41	18.3.15	C/o 3 Nos Class Room, GSSS Deol, Tehsil Baijnath	No. Himuda/EDD/W-7/2010-1451-57 Dated 25.2.2014	Sh. K.R. Verma/ 25 of 2013-14	100613
2.	61	31.3.15	C/o Self financing scheme Hamirpur	No. Himuda/SE(N) Dharmshala(DB)E/P SFS-HMR/14-2086 Dated 24.3.2015	Sh. Arun Kumar/ 22 of 2014-15	336900

3.	62	31.3.15	C/o Self Financing scheme at Bilaspur	No. Himuda/EDD/W- 7/2010-1157-63 Dated 13.3.2015	M/s Ratwan light house/ 20 of 2014-15	292050
4.	63	31.3.15	C/o additional accommodation for GSSS Barmana	No. Himuda/EDD/W- 7/2010-1141-47 Dated 9.3.2015	Sh. Nishant Sharma/ 18 of 2014-15	105750
5.	64	31.3.15	C/o additional accommodation for GSSS Bilaspur(Girls)	No. Himuda/EDD/W- 7/2010-1109-15 Dated 27.2.2015	Sh. Parshant Gupta/ 17 of 2014-15	105750
6.	65	31.3.15	C/o Partially SFS at Hamirpur	No. Himuda/EDD/W- 7/2010-1176-82 Dated 24.3.2015	Sh. Anil Soni/ 23 of 2014-15	305175
7.	68	31.3.15	C/o GSSS at Khatiar, Jawali	No. Himuda/EDD/W- 7/2010-1148-54 Dated 10.3.2015	M/s United Engineer 19 of 2014-15	128250

12 वर्ष 2014-15 के वार्षिक खाते में ₹0.23 लाख के अन्तर बारे :-

जांच में पाया कि विद्युत मण्डल धर्मशाला के वर्ष 2014-15 के वार्षिक खाते में ₹23203 का अन्तर पाया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

विवरण	Expenditure up to 2/15	Expenditure during 3/15	Expenditure during the year	Receipt up to 2/15	Receipt during to 3/15	Receipt during the year
Total of the Suspens e's head as per annual account	30347878	2005618	32353496	49940811.8	4930826	54871637.28
जांच के दौरान उक्त शीर्षक का जो	30371581	2005618	32377199	49941311.28	4930826	54872137.28

योग पाया
गया
अन्तर की राशि

₹23703

-

₹23703

₹500

-

₹500

यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्ष 2014-15 के वार्षिक खाते में पाए गए उक्त अन्तर की अपने स्तर पर जांच करके वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाए।

13 विभिन्न वाहनों की लॉग बुकों में 60 लीटर डीजल की कम मात्रा लेने बारे :-

(क) वाहन संख्या HP-03-2781 :-

लॉग बुक की जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 के विभिन्न माहों के अन्तिम शेषों की मात्रा को आगामी माह में कम अग्रेनित किया गया था, जिस कारण से मण्डल को 38 लीटर डीजल के रूप में हानि हुई थी, जिसकी क्षतिपूर्ति उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें। डीजल की कम अग्रेनित मात्रा का विवरण निम्नलिखित था:-

माह	डीजल का अन्तिम शेष	आगामी माह में डीजल की अग्रेनित मात्रा	डीजल की कम अग्रेनित मात्रा	लॉग बुक पृष्ठ सं०
मार्च 2014	11 लीटर	2 लीटर	9 लीटर	पृष्ठ 16
अप्रैल 2014	23 लीटर	3 लीटर	20 लीटर	पृष्ठ 18
मार्च 2015	14 लीटर	5 लीटर	9 लीटर	पृष्ठ 31

(ख) वाहन संख्या HP-07-C-0030 :-

इस वाहन की लॉग बुक की जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 के विभिन्न माहों के अन्तिम शेषों की मात्रा को आगामी माह में कम अग्रेनित किया गया था, जिस कारण से मण्डल को 22 लीटर डीजल के रूप में हानि हुई थी, जिसकी क्षतिपूर्ति उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें। डीजल की कम मात्रा का विवरण निम्नलिखित है :-

माह	डीजल का अन्तिम शेष	आगामी माह में डीजल की अग्रेनित मात्रा	डीजल की कम अग्रेनित मात्रा	लॉग बुक पृष्ठ सं०
जनवरी 2015	36 लीटर	14 लीटर	22 लीटर	पृष्ठ 36

- 14 **लघु आपत्ति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी-छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।
- 31 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: -(एल0ए0)एच0(2)सी(15)(14)228 / 03-खण्ड-3-3341-3343, दिनांक: 08.06.16,
शिमला-171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत :-
1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002
 2. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम विहार, शिमला-171002.
 3. अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

परिशिष्ट "क" (अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1(ग) से सन्दर्भित)

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1. पैरा 10 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1. पैरा 7 (ए) अनिर्णीत
2. पैरा 7 (बी) अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1. पैरा 10 (बी) अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1. पैरा 8 (क) अनिर्णीत
2. पैरा 8 (ख) अनिर्णीत
3. पैरा 8 (ग) अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1. पैरा 8 निर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1. पैरा 10 निर्णीत (पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1. पैरा 8 अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1. पैरा 7 निर्णीत (पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
2. पैरा 8 अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1. पैरा 4 निर्णीत (पैरा वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित किया गया)
2. पैरा 5 निर्णीत (पैरा वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित किया गया)
3. पैरा 6 निर्णीत (पैरा वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित किया गया)
4. पैरा 7 निर्णीत (पैरा वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित किया गया)
5. पैरा 8 निर्णीत (पैरा वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित किया गया)
6. पैरा 9 अनिर्णीत
7. पैरा 10 अनिर्णीत
8. पैरा 11 निर्णीत (पैरा वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित किया गया)
9. पैरा 12 निर्णीत (पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
10. पैरा 13 निर्णीत (₹250 की वसूली रसीद संख्या 133896 दिनांक 17.3.2016 द्वारा कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)

- | | | | |
|-----|------------|---------|---|
| 11. | पैरा 14 | निर्णीत | (पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया) |
| 12. | पैरा 15 | निर्णीत | (पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया) |
| 13. | पैरा 16 | निर्णीत | (पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया) |
| 14. | पैरा 17(क) | निर्णीत | (पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया) |
| 15. | पैरा 17(ख) | निर्णीत | (कार्य : C/o 1 No Barrack & Kitchen block at Jungle
beri, Hamirpur की Deviation statement पत्र संख्या
Himuda/CB/DB/Electrical work/MD-Div/015/Vol-
III-8-178-79, दिनांक 18 18.6.2015 द्वारा अनुमोदित कर
दी गई। अतः कार्यवाही देखने के उपरान्त पैरे का समायोजन
कर दिया गया) |
| 16. | पैरा 18(क) | निर्णीत | (पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया) |
| 17. | पैरा 17(ख) | निर्णीत | (2 लीटर डीजल के एवज में ₹100 की वसूली रसीद संख्या
133897 दिनांक 17.3.2016 द्वारा कर ली गई थी एवं वाहन
की औसत भी प्रमाणित करवा ली गई थी। अतः पुष्टि के
उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया) |